

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव (जिला - उदयपुर)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :- शैलेश सुराणा (RAS)

प्रकरण संख्या- 11/2014 राजस्व वाद

1. श्री मनोज पुत्र श्री बालकृष्ण जाति पंचाल, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्री कैलाश पुत्र श्री बालकृष्ण जाति पंचाल, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर

- वादीगण -

बनाम

1. श्री प्रेमशंकर सेवक पुत्र स्व. भगवतीलाल निवासी पगलियाजी रोड ग्राम ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
2. श्री बापुलाल सेवक पुत्र स्व. भगवतीलाल निवासी पगलियाजी रोड ग्राम ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
3. श्री शिवशंकर सेवक पुत्र स्व. भगवतीलाल निवासी पगलियाजी रोड ग्राम ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
4. श्री दिनेश सेवक पुत्र स्व. भगवतीलाल निवासी पगलियाजी रोड ग्राम ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर
- 4/1. श्रीमति शर्मिला पत्नी स्व. श्री दिनेश सेवक, निवासी होली चौक, ग्राम ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
- 4/2. श्री तुषार सेवक पुत्र स्व. श्री दिनेश सेवक, निवासी होली चौक, ग्राम ऋषभदेव जिला उदयपुर, जरिये प्राकृतिक संरक्षक वली माता श्रीमती शर्मिला सेवक।
- 4/3. सुश्री विनी सेवक पुत्री स्व. श्री दिनेश सेवक, निवासी होली चौक, ग्राम ऋषभदेव जिला उदयपुर, जरिये प्राकृतिक संरक्षक वली माता श्रीमती शर्मिला सेवक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खैरवाडा (वर्तमान में ऋषभदेव) जिला उदयपुर
6. श्री वीर प्रकाश पिता श्री शान्तिलाल लुणदिया, जाति जैन, निवासी ऋषभदेव जिला उदयपुर

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत दुरस्ती रेकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125 राज. भू-राजस्व अधिनियम

...../.....
निर्णय

दिनांक- 08.02.2018

यह कि वादीगण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में एक दावा प्रस्तुत किया गया था तथा तत्पश्चात दिनांक 05.05.2011 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 06 R 17 सपठित धारा 151 एवं

01 R 10 (4) जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जिसे कि न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा न्यायालय की अनुमति से संशोधित वादपत्र पेश किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा धुलेव तहसील खेरवाडा (वर्तमान में ऋषभदेव) जिला उदयपुर में वादीगण के स्वामित्व की भूमि एवं भूमि पर निर्मित दुकान के पूर्व दिशा में होस्पिटल एवं दक्षिण में पगलियाजी जाने वाला रास्ता है तथा जिस रास्ते के पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खाते स्वामित्व की उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता स्व. भगवतीलाल के खाते पडने के पहले गत सेटलमेन्ट संवत् 2013 में मूल खसरा नम्बर 825 होकर इसका कुल रकबा 9 बिस्वा था जिसमें से 2 बिस्वा किस्म रास्ता एवं 7 बिस्वा बिलानाम पडत थी। मौजा धुलेव का मूल खसरा नम्बर 825 में से बाद में 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता स्व. भगवतीलाल को आवंटित हुई, जिसका नवीन खसरा नम्बर 2573/825 सम्वत् 2017-20 में दर्ज हुआ। स्व. भगवतीलाल को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2573/825 के दोनो तरफ सम्वत् 2011 नक्शा ट्रेस सेटलमेन्ट में रास्ता था, उक्त रास्ते के उत्तर दिशा में स्व. भगवतीलाल की कोई भूमि नहीं थी। हाल नये सेटलमेन्ट में स्व. भगवतीलाल के खसरा नम्बर 2573/825 रकबा 7 बिस्वा की तुलना में तीन नये खसरे नम्बर 2179, 2180 एवं 2181 रकबा क्रमशः 1, 3 एवं 7 एयर कुल 11 एयर/बिस्वा कायम हुए हैं, जिसमें से एक खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर उक्त नक्शे में वर्णित रास्ते के उत्तर में दर्ज हुआ है जिस पर कि वादीगण की दुकाने बनी हुई है। यह खसरा नम्बर पूर्व सेटलमेन्ट के आबादी खसरा नम्बर 932 एवं हाल खसरा नम्बर 2133 का पडता है। स्व. भगवतीलाल के नाम गत सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 2573/825 रकबा 7 बिस्वा का हाल सेटलमेन्ट में बगैर किसी आदेश के त्रुटि से खसरा नम्बर 2179, 2180 एवं 2181 कुल रकबा 11 एयर दर्ज हुई है। स्व. भगवतीलाल के नाम खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर भूमि सेटलमेन्ट में गलती से दर्ज हुई है। स्व. भगवतीलाल तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त खसरा नम्बर 2179 विरासती इन्तकाल के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुआ है। खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का किसी प्रकार कोई स्वामित्व अधिकार, कब्जा नहीं है। वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की दुकान एवं भूमि ग्राम धुलेव हल्का आबादी ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आबादी भूमि जो होस्पिटल जाने वाले रास्ते के उत्तर में है, जिसे ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने दिनांक 31.12.1972 को मिसल संख्या 2 सन् 1970 से 12X64 फीट कुल क्षेत्रफल 768 वर्ग फीट श्री नारायणलाल पुत्र रतनलाल त्रिवेदी को दी जाकर भूमि पर श्री नारायणलाल को काबिज करवा भूमि का पट्टा विधिवत दिनांक 31.12.1972 को नारायणलाल के हक में जारी किया है। वादीगण के पिता स्व. बालकृष्ण ने नारायणलाल के स्वामित्व एवं कब्जे की इसी आबादी भूमि में से 12X32 फीट 384 वर्गफीट भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.12.1979 से तथा शेष 32X12 फीट 384 वर्गफीट भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.01.1985 से कय कर सम्पूर्ण 64X12 फीट कुल 768 वर्ग फीट भूमि के स्वामी वादीगण के पिता स्व. बालकृष्ण हुए। वादीगण के पिता ने विधिवत भूमि नारायणलाल से कय करने के पश्चात मौके पर सन् 1979 में भूमि पर दुकान बना दुकान में सन् 1980 से आज दिनांक तक काबिज होकर अपना व्यापार चला रहा है। स्व. नारायणलाल की मृत्यु के पश्चात दुकान वादीगण के कब्जे में है। खसरा नम्बर 2573/825 रकबा 7 बिस्वा का आवंटन का नामान्तकरण संख्या 96 दिनांक 15.02.64 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम खोला गया है, यह

नामान्तरकरण किसी राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, इस कारण भी श्री भगवतीलाल का आवंटन कानूनन अवैध होकर नल एण्ड वॉयड अमान्य है जिसके आधार पर भी विपक्षीगण के खाते से कम किया जाना न्याय संगत है। वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान हुई त्रुटि के कारण खाते दर्ज होने के आधार पर प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की आबादी भूमि एवं उस पर बनी दुकानों पर आये दिन आकर झगड़ा फसाद कर भूमि एवं दुकान से वादीगण को बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं। वादीगण वर्तमान सेटलमेन्ट में हुई त्रुटि से खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खाते दर्ज होने, नक्शा रेकार्ड में शुद्धि करवा प्रतिवादीगण के वर्तमान खाते से हटवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 हेक्टेयर आबादी जो बस स्टेण्ड के बाहर हॉस्पिटल रोड पर स्थित है जो पूर्व से पश्चिम दिशा उत्तर तरफ 12 फीट होकर उत्तर से दक्षिण दिशा पश्चिम तरफ 10 फीट होकर कुल 60 फीट का त्रिभुजाकार भूखण्ड है, जिस पर वादीगण काबिज है, को बिना अधिकार के जरिये विक्रय पत्र तारीख 20.01.2011 रजिस्ट्री तारीख 21.01.2011 को श्री वीर प्रकाश पिता श्री शान्तिलाल लुणदिया, जाति जैन, निवासी ऋषभदेव, जिला उदयपुर (प्रतिवादी सं. 6) को विक्रय कर दिया है एवं कब्जा देने का विक्रय पत्र में गलत तथ्य दर्ज किया है जबकि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 का किसी भी प्रकार से विक्रय के आधार पर कब्जा नहीं हुआ है तथा तथाकथित विक्रय में वादीगण पक्षकार नहीं है तथा वे तथाकथित विक्रय से बाध्य नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में विक्रय विलेख को वादी के विरुद्ध शून्य एवं बाध्य नहीं होना घोषित किया जाए। अंत में वादीगण ने निवेदन किया कि मौजा धुलेव पटवार सर्कल, ग्राम पंचायत ऋषभदेव के गत सेटलमेन्ट सम्वत 2036-39 का कृषि खसरा नम्बर 2573/825 रकबा 7 बिस्वा को वर्तमान सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खाते से कम किया जाकर हटाया जाये एवं इस 1 एयर रकबा को आबादी खसरा संख्या 2133 में शामिल किया जाये। साथ ही केशरियाजी बस स्टेण्ड से हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ वर्तमान रेवेन्यू नक्शा में दर्ज खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर को नक्शे में से हटाया जाकर शुद्धि की जाये। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय कि वह वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की दुकान से वादीगण को बेदखल नहीं करे एवं वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग/उपभोग में किसी प्रकार दखल नहीं दे। साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 हेक्टेयर आबादी में से प्रतिवादी सं. 6 को विक्रय की गई 60 वर्गफीट भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 20.01.2011 को वादीगण के विरुद्ध शून्य व बाध्य नहीं होना घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 बिस्वा किन्तु मंगरी द्वितीय होकर श्री भगवतीलाल पिता सुखलाल ब्राह्मण निवासी ग्राम धुलेव के खाते की होकर खातेदार श्री भगवतीलाल की मृत्यु पश्चात विरासतन नामान्तरण से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं श्री भगवतीलाल की पत्नी श्रीमती ककुंबाई के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वादीगण की नहीं है, बल्कि वादीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि पर जबरन अवैध दुकाने बना दी है। सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 2573/825 श्री भगवतीलाल के खाते दर्ज था तथा सेटलमेंट पश्चात इसके नवीन खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 बिस्वा व अन्य खसरे बने हैं। गत सेटलमेंट से पूर्व संवत 2013 में मूल खसरा नम्बर 825 रकबा 9 बिस्वा होना तथा इसमें

से दो बिस्वा किस्म रास्ता एवं 7 बिस्वा बिलानाम पड़त भूमि होने के तथ्य के बारे में प्रतिवादीगण अनभिज्ञ है। साबिक खसरा नम्बर 825 वादीगण अथवा वादीगण के पिता के खाते एवं आधिपत्य का नहीं था। श्री भगवतीलाल को आवंटित खसरा नम्बर 2573/825 के एक तरफ ही रास्ता था, दूसरी तरफ भण्डार धुलेव का कोट बना हुआ है, रास्ता नहीं है। रास्ते के उत्तरी दिशा में वर्तमान में खसरा नम्बर 2179 श्री भगवतीलाल के खाते एवं कब्जे की होने से दर्ज हुई है। हाल खसरा नम्बर 2179, 2180, व 2181 सेटलमेंट की गलती से श्री भगवतीलाल के खाते दर्ज नहीं हुई है, बल्कि नियमानुसार दर्ज हुई है। इन हाल खसरा नम्बरों से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। मौके पर श्री भगवतीलाल का ही कब्जा था एवं खसरा नम्बर 2179 के कुछ भाग पर वादीगण ने 10 वर्ष पूर्व जबरन दुकाने बना दी है। चूंकि खसरा नम्बर 2179 रकबा 1 एयर प्रतिवादीगण की खातेदारी का था, इसलिये श्री नारायणलाल पिता रतनलाल त्रिवेदी को वादीगण के पिता को खसरा नम्बर 2179 की भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि खसरा नम्बर 2179 प्रतिवादीगण की खातेदारी हक की कृषि भूमि थी, ऐसे में ग्राम पंचायत ऋषभदेव को उक्त कृषि भूमि का पट्टा दिनांक 31.12.72 को श्री नारायणलाल त्रिवेदी को देने का कोई अधिकार नहीं था। श्री नारायणलाल त्रिवेदी को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.12.1972 को दिया गया पट्टा प्रारम्भतः शून्य है। ग्राम पंचायत ने श्री नारायणलाल त्रिवेदी को उक्त पट्टा भूमि पर कभी काबिज भी नहीं कराया है तथा न ही श्री नारायणलाल त्रिवेदी ने उक्त पट्टा भूमि का कब्जा कभी भी वादीगण के पिता को सिपुर्द किया था। श्री नारायणलाल त्रिवेदी द्वारा वादीगण के पिता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 26.12.1979 एवं 24.01.1985 प्रारम्भतः शून्य है तथा प्रतिवादीगण इन विक्रय पत्रों से पाबंद भी नहीं है। श्री नारायणलाल त्रिवेदी द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय की गई भूमि पर विक्रय विलेखों के निष्पादन के समय कोई दुकाने निर्मित नहीं थी, बल्कि उक्त दुकाने वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण ने सन् 2000 से 2004 के मध्य दुकानों-दुकानों में बनाई है। प्रतिवादीगण ने अंत में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2179 प्रतिवादीगण के खाते में नियमानुसार दर्ज हुई है जिसमें वादीगण का कोई हक निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2179 को वादीगण के पिता श्री बालकृष्ण द्वारा श्री नारायणलाल त्रिवेदी से कय करना बताया है। श्री नारायणलाल त्रिवेदी विक्रेता होने से इस मुकदमे में आवश्यक पक्षकार है। श्री नारायणलाल को पक्षकार नहीं बनाने से वाद खारिज योग्य है। वादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा श्री नारायणलाल त्रिवेदी को दिया गया था। ऐसे में ग्राम पंचायत ऋषभदेव को पक्षकार नहीं बनाने से भी वाद निरस्त योग्य है। अंत में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने निवेदन किया कि वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रतिवादी भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण का खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 2179 पर वादीगण द्वारा सन् 2000 से 2004 के मध्य जबरन दुकानों का निर्माण करा लिया है, जिसे कि हटाया जाकर पक्षकार प्रतिवादीगण को सिपुर्द कराया जावे। वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ताफैसला वाद वादग्रस्त दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तारित नहीं करे।

अंत में निवेदन किया कि वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण के प्रतिदावा को डिकी किया जाकर वादग्रस्त दुकानों से वादीगण को बेदखल किया जावे एवं कब्जा प्रतिवादीगण को सिपुर्द कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अतिरिक्त कथन का जवाब प्रस्तुत करते हुये वादीगण ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ऋषभदेव जिसने श्री नारायणलाल त्रिवेदी को वादग्रस्त भूमि का पट्टा दिया तथा श्री नारायणलाल त्रिवेदी जिसने वादीगण के पिता को वादग्रस्त भूमि विक्रय की थी, इन दोनों के द्वारा अपने-अपने दस्तावेजों को विवादित नहीं बताने से इन दोनों पक्षकारों को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 के प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत करते हुये वादीगण ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण तथा उनके पिता सन् 1980 से काबिज चले आ रहे हैं, जिस पर कुछ निर्माण सन् 1980 में किया गया तथा शेष निर्माण सन् 2000 में किया गया था। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2179 यदि वादीगण के स्वामित्व की न होकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व की होती तो इनके द्वारा गत सेटलमेंट के रिकार्ड लागू होने के पूर्व कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये थी, लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही सेटलमेंट से पूर्व नहीं की गई। प्रतिवादीगण सेटलमेंट की त्रुटि के कारण वादग्रस्त खसरा नम्बर 2179 के खातेदार काश्तकार बने हैं। सेटलमेंट की त्रुटि शुद्धि योग्य होकर प्रतिवादीगण के खाते में से कम की जाकर आबादी खसरा नम्बर 2133 में शामिल की जाने योग्य है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर सन् 1980 से वादीगण ही काबिज चले आ रहे हैं, ऐसे में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विरुद्ध पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रतिदावा निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद का जवाब प्रस्तुत कर संशोधित वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा वादीगण के संशोधित वाद को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

वादीगण के संशोधित वाद पत्र, प्रतिवादी सं. 1 से 4 के जवाबदावा व प्रतिदावा, वादीगण के जवाब प्रतिदावा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के जवाब संशोधित वाद के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नांकित तनकिया कायम की गई:-

1. जाया गौला गुलेन की साबिक मूल आराजी 825 रकबा 9 बिस्वा थी। जिसमें से 2573/825 रकबा 7 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार हाकर रप. भगवती लाल/सरबलाल के नाम से आंशटन हाकर कब्जे फारत थी। उक्त भूमि के नवीन सेटलमेंट की आ. नं. 2179/0.01, 2180/0.03, 2181/0.07 कुल कित्ता 0.11 हेक्टेयर खाते गलत अंकित है।
-वादीगण-

2. आया वादग्रस्त आ. नं. 2573/825 रकबा 7 बिस्वा के दोनो तरफ संवत् 2011 के नक्शा ट्रेस रास्ता था। उसके उत्तर दिशा में स्व. भगवती लाल की कोई भूमि नहीं है।
-वादीगण-

3. आया नवीन सेटलमेन्ट की आराजी नम्बर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर होकर वादीगण के कब्जे में है।

—वादीगण—

4. आया वादग्रस्त भूमि पुराने आराजी नं. 932 हाल आराजी 2133 का रकबा होकर आबादी भूमि है।

—वादीगण—

5. आया वादग्रस्त भूमि का पुराने सेटलमेन्ट के मुकाबले हाल सेटलमेन्ट के नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में गलत अंकन होने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

—वादीगण—

6. आया वाद वर्णित आ. नं. 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर वादीगण का दिनांक 28.12.79 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—वादीगण—

7. आया वादग्रस्त भूमि में से 12X60 फीट का भूखण्ड बिना अधिकार दिनांक 20.01.2011 को किया गया विक्रय पत्र कब्जे के अभाव में शून्य है।

—वादीगण—

8. आया वादग्रस्त आ. नं. 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर के एक मात्र खातेदार प्रतिवादीगण है। इसलिए वादीगण यह दावा लाने के अधिकारी नहीं है।

—प्रतिवादीगण—

9. आया वादीगण का वाद न्याय बाहर होने से निरस्त योग्य है।

—प्रतिवादीगण—

10. दादरसी

वादीगण ने अपने वादपत्र के तार्ईद में मौखिक शहादत में वादी श्री मनोज, कैलाश पिता स्व. बालकृष्ण व गवाह श्री रमेशचन्द्र, मोहनलाल के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये जिसमें प्रतिवादीगण की उपस्थिति में वादीगण व उनके गवाहों से जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। दौरान कार्यवाही प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण की शहादत बंद की जाकर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में ली गई। वादीगण ने अपने

दस्तावेज सबूत में जमाबंदी संवत् 2013 EX-1, नामान्तरकरण संख्या 96 EX-2, जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 EX-3, जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 EX-4, जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 EX-5, नक्शा ट्रेस संवत् 2011 EX-6, जमाबंदी संवत् 2041 EX-7, तुलनात्मक विवरण पत्र EX-8, नक्शा ट्रेस संवत् 2038 EX-9, जमाबंदी संवत् 2041 खाता संख्या 454 EX-10, तुलनात्मक विवरण पत्र साबिक आराजी नंबर 932 मी. EX-11, सिविल न्यायालय (क.ख.) खैरवाडा का निर्णय दिनांक 29.05.2009 EX-12, ग्राम पंचायत-ऋषभदेव की रसीद दिनांक 15.11.70 EX-12, ग्राम पंचायत का नोटिस दिनांक 26.11.71 EX-13, ग्राम पंचायत का आबादी भूमि का विक्रय विलेख EX-14, ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय भूमि का नक्शा EX-15,16, विक्रय पत्र दिनांक 26.12.79 EX-17, विक्रय पत्र दिनांक 24.01.85 EX-18, नजरी नक्शा EX-19, इकरारनामा द्वारा नारायणलाल त्रिवेदी दिनांक 06.05.2001 EX-20, ग्राम पंचायत ऋषभदेव का प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2009 EX-21, सहायक अभियंता खैरवाडा का प्रमाण पत्र दिनांक 08.07.09 EX-22, अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2 उदयपुर का निर्णय दिनांक 05.08.99 EX-23, तक प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा एवं प्रतिदावा अवश्य प्रस्तुत किया है लेकिन अपने जवाबदावा व प्रतिदावा को सिद्ध करने हेतु कोई शहादत सबूत पेश नहीं किये गये हैं, न ही मामले में रूचि लेकर कोई चाराजोही ही की है।

प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के बाद दिनांक 30.07.2015 से दिनांक 04.01.2018 तक एक पक्षीय बहस में मामला चला। तत्पश्चात दिनांक 18.01.2018 को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस अपने संशोधित वादपत्र के अनुरूप रही। मुख्य रूप से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा धुलेव की साबिक आराजी नंबर 825 का कुल रकबा 9 बिस्वा था, जिसमें 2 बिस्वा रास्ता तथा 7 बिस्वा भूमि पडत थी। यह 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल को आवंटित हुई थी, जिसके आवंटन पश्चात नये खसरा नंबर 2573/825 बने। आराजी नंबर 2573/825 रास्ते के दक्षिणी दिशा में था तथा उत्तरी दिशा में प्रतिवादीगण की कोई जमीन नहीं थी। रास्ते के उत्तरी दिशा में आराजी नंबर 932 थी, जो कि ग्राम पंचायत ऋषभदेव के खाते दर्ज थी। सेटलमेंट के दौरान साबिक आराजी नंबर 2573/825 के तीन नये खसरा नंबर 2179/0.01, 2180/0.03 व 2181/0.07 बने हैं। इन तीनों नये खसरा नंबरों का कुल रकबा 0.11 हेक्टेयर दर्ज हुआ जबकि मूल रकबा केवल मात्र 7 बिस्वा ही था, अर्थात् 4 एयर भूमि प्रतिवादीगण के खाते में अधिक दर्ज हुई। सेटलमेंट से पूर्व रास्ते के उत्तरी दिशा में प्रतिवादीगण का कोई भूखण्ड नहीं था, लेकिन सेटलमेंट के दौरान नये बने आराजी नंबर 2179 को रास्ते के उत्तरी दिशा में दर्ज कर दिया गया। इस रास्ते के उत्तरी दिशा में वादी की दुकाने बनी हुई है, जो कि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है तथा उसका पट्टा भी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व विक्रेता को दिया गया था तथा पूर्व विक्रेता से वादीगण के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया था, जिस पर वादीगण के पिता द्वारा दुकाने बनायी गई। वादीगण की इन दुकानों के सामने सड़क के दूसरी तरफ प्रतिवादीगण की दुकाने बनी हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण व्यवसाय व निवास करते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की दुकानों बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई। वादीगण की इन दुकानों को बने 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर, जो कि प्रतिवादीगण के खाते में सेटलमेंट की गलती से त्रुटिपूर्वक दर्ज हो गई है, जो कि वास्तव में आराजी नंबर 2133 का भाग है, जिस पर वादीगण का कब्जा है तथा वादीगण

द्वारा ही उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा 4 एयर भूमि प्रतिवादीगण के खाते में अधिक दर्ज होने बाबत कोई कारण अपने जवाबदावे में नहीं बताया है। साथ ही अपने जवाबदावे में यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण द्वारा दुकाने जबरन बना ली गई है, जिसे कि 10 वर्ष हो चुके हैं। अंत में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड यथा-पुरानी जमाबंदी, वर्तमान जमाबंदी, तुलनात्मक विवरण पत्र, आदि के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत संवत् 2011 के नक्शा ट्रेस से तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से तथा प्रतिवादीगण के जवाब से तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। प्रदर्श संख्या 1 व 11 से तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों से तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा-ग्राम पंचायत का पट्टा, विक्रय पत्रों से तनकी संख्या 6 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। कब्जे के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 श्री वीरप्रकाश के पक्ष में निष्पादित 12X60 वर्गफीट का विक्रय पत्र शून्य है। तनकी संख्या 8 व 9 जिसको कि सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, को साबित करने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य/शहादत प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में चूंकि तनकी संख्या 1 से 7 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है, अतः दावा वादीगण के पक्ष में स्वीकार फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस पर चिंतन व मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक परिशीलन किया, जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का तनकीवार विनिश्चय निम्नानुसार है -

(1) तनकी संख्या 1 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि मौजा धुलेव की गत सेटलमेंट संवत् 2013 की जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 825 का कुल रकबा 9 बिस्वा था, जिसमें से 2 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता तथा शेष 7 बिस्वा भूमि बिलानाम पडत थी। यह 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल को आवंटित हुई थी, जिसका नवीन खसरा नंबर 2573/825 कायम होकर जमाबंदी संवत् 2017-20 में दर्ज हुआ। इस नवीन खसरा नंबर 2573/825 रकबा 7 बिस्वा का श्री भगवतीलाल के नाम इन्द्राज हाल नये सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2036-39 तक बदस्तूर चलता रहा। हाल नये सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नंबर 2573/825 मी. रकबा 7 बिस्वा के 3 नये खसरा नंबर 2179 रकबा 0.01, 2180 रकबा 0.03 एवं 2181 रकबा 0.07 हेक्टेयर कुल रकबा 0.11 हेक्टेयर कायम हुये है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि के दो तरफ संवत् 2011 के नक्शा ट्रेस में रास्ता था, जिसमें से एक पगलियाजी जाने वाला रास्ता तथा दूसरा हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता था। उक्त रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि नहीं थी, बल्कि श्री भगवतीलाल को आवंटित भूमि उक्त रास्ते के केवल दक्षिणी दिशा में ही स्थित थी। वादीगण के अनुसार श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि के गत नये सेटलमेंट में नवीन खसरा नंबर 2179, 2180 व 2181 के रूप में कुल रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि गलत कायम कर श्री भगवतीलाल के खाते में त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई है, क्योंकि श्री भगवतीलाल को केवल मात्र 7 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा उसके स्थान पर उनके खाते में 11 एयर भूमि अर्थात् लगभग 4 एयर भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है। इस अधिक दर्ज की गई 4 एयर भूमि में वादीगण की दुकानों को

भी मिला दिया गया है, जो कि गलत है। वादीगण के अनुसार साबिक खसरा नंबर 2573/825 के हाल नये सेटलमेंट के दौरान बनाये गये तीन नये खसरा नंबर 2179, 2180 व 2181 में से आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर गलत कायम कर प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल के खाते में गलत रूप में दर्ज कर दी गई है, क्योंकि यह आराजी नंबर 2179, जिस पर कि वादीगण की दुकाने बनी हुई होकर वादीगण के आधिपत्य में है, को राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते के उत्तर दिशा में दर्शा दिया गया है जबकि मूल रूप से श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि उक्त रास्ते के केवल दक्षिण दिशा में ही स्थित थी, अर्थात् उक्त रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि नहीं थी अर्थात् यह आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर श्री भगवतीलाल के खाते में त्रुटिपूर्वक दर्ज की गई है। वादीगण के अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं गवाहों से यह तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा - सेटलमेंट खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 (EX-1), नामान्तरकरण संख्या 96 (EX-2), जमाबंदी संवत् 2021-24 (EX-3), जमाबंदी संवत् 2032-35 (EX-4) तथा जमाबंदी संवत् 2036-39 (EX-5) का अवलोकन किया। इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि हाल नये सेटलमेंट से पूर्व खातेदार श्री भगवतीलाल पिता सुखलाल के नाम केवल मात्र 7 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। लेकिन हाल नये सेटलमेंट के दौरान 7 बिस्वा के स्थान पर तीन नये खसरा नंबर 2179, 2180 व 2181 के रूप में कुल 0.11 हेक्टेयर भूमि श्री भगवतीलाल के खाते में दर्ज कर दी गई है, जैसा कि भूप्रबंध विभाग की बंदोबस्त खतौनी संवत् 2041 (EX-7) में व तुलनात्मक विवरण पत्र (EX-8) में दर्ज है, जिसमें से आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान राजस्व नक्शे (EX-9) में उक्त रास्ते के उत्तरी दिशा में दर्शा दिया गया है, जो कि गलत है। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि, जिसके आवंटन पश्चात नवीन खसरा नंबर 2573/825 बना था, के हाल नये सेटलमेंट के पश्चात तीन नये आराजी नंबर 2179/0.01, 2180/0.03 व 2181/0.07 कुल 0.11 हेक्टेयर कायम किये गये हैं, जो कि गलत है, क्योंकि श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि के मुकाबले में लगभग 4 एयर भूमि श्री भगवतीलाल के खाते में अधिक दर्ज कर दी गई है। अतः स्पष्ट है कि श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि के हाल नये सेटलमेंट के पश्चात तीन नये खसरा नंबर 2179, 2180 व 2181 गलत कायम किये जाकर श्री भगवतीलाल के खाते में त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दिये गये हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों व विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

(2) तनकी संख्या 2 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि जमाबंदी संवत् 2013 (EX-1) में साबिक खसरा नंबर 825 का कुल रकबा 9 बिस्वा बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है तथा जमाबंदी के कॉलम संख्या 8 "भूमि वर्गीकरण मय क्षेत्रफल" कॉलम में 2 बिस्वा भूमि रास्ता दर्ज है। शेष 7 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल को आवंटित हुई थी, जिसके आवंटन पश्चात नये खसरा नंबर 2573/825 बने हैं। इस खसरा नंबर 2573/825 के संवत् 2011 के राजस्व नक्शा ट्रेस (EX-6) में दो तरफ रास्ता था तथा वर्तमान में भी है। इनमें से एक रास्ता हॉस्पिटल को जाता है तथा दूसरा रास्ता पगलियाजी को।

श्री भगवतीलाल को हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते के उत्तरी दिशा में कोई भूमि आवंटित नहीं हुई थी तथा वर्तमान में भी इस रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि नहीं है। श्री भगवतीलाल को आवंटित भूमि इस रास्ते के केवल दक्षिणी दिशा में स्थित है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। संवत् 2011 के राजस्व नक्शा ट्रेस (EX-8) तथा गवाहों के बयानों से साबित होता है कि साबिक आराजी नंबर 2573/825 रकबा 7 बिस्वा के दो तरफ रास्ता दर्ज है तथा इस रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि स्थित नहीं है। अतः प्रस्तुत शहादत व सबूत से तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में सिद्ध पाये जाने से तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

(3) तनकी संख्या 3 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर ही है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि हाल आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है, जिस पर वादीगण एवं उनके पिता सन 1979-80 से दुकाने बनाकर निरन्तर काबिज होकर व्यवसाय चला रहे हैं लेकिन हाल नये सेंटलमेंट की गलती से यह आबादी भूमि प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल के नाम दर्ज कर दी गई है। इस आराजी भूमि 2179 तथा उस पर निर्मित दुकानों पर प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता श्री भगवतीलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। केवल मात्र सेंटलमेंट की भूल से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, वास्तविकता में इस आराजी भूमि तथा इस पर निर्मित दुकानों पर वादीगण का ही सेंटलमेंट पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण ने अपने तर्क की पुष्टि हेतु दस्तावेज सबूत में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) खेरवाडा का निर्णय दिनांक 29.05.09 (EX-12), ग्राम पंचायत ऋषभदेव की रसीद (EX-12), ग्राम पंचायत की कार्यालय टिप्पणी (EX-13), ग्राम पंचायत द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख मय नजरी नक्शा (EX-14 से 16), श्री नारायण लाल त्रिवेदी द्वारा वादीगण के पिता श्री बालकृष्ण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों मय नजरी नक्शा (EX-17 से 19), ग्राम पंचायत ऋषभदेव का प्रमाण पत्र (EX-21), सहायक अभियंता अविनिनिलि खेरवाडा का पत्र दिनांक 08.07.09 (EX-22) प्रस्तुत किये हैं।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी प्रदर्शों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा श्री नारायणलाल त्रिवेदी के पक्ष में विक्रय की गई भूमि का पट्टा तथा इस पट्टे के आधार पर श्री नारायणलाल त्रिवेदी द्वारा वादीगण के पिता को विक्रय की गई भूमि पर वादीगण उनके पिता के समय से दुकाने बनाकर निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। सिविल न्यायाधीश (क.ख.) खेरवाडा के निर्णय दिनांक 29.05.09 (EX-12) में उल्लेखित पट्टवारी ऋषभदेव के धारा 91 के नोटिस में भी आराजी नंबर 2179 पर क्लिनिक बनाये जाने का उल्लेख है तथा यह निर्माण कार्य किये जाने पर ही तहसीलदार खेरवाडा द्वारा धारा 90 ए व 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। हल्का पट्टवारी की धारा 91 की रिपोर्ट में आराजी नंबर 2179 पर क्लिनिक निर्मित होने का उल्लेख है तथा प्रस्तुत शहादत व सबूतों से इस क्लिनिक मय दुकानों पर वादीगण का सेंटलमेंट से पूर्व कब्जा होना साबित होता है। स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने भी अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 पर वादीगण द्वारा जबरन दुकाने बना ली हैं, जिसे कि 10 वर्ष हो चुके हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों व विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 पर वादीगण का कब्जा सेटलमेंट पूर्व से होना स्पष्ट है। अतः ऐसे में तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(4) तनकी संख्या 4 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर ही है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 हाल आराजी नंबर 2133, जो कि आबादी भूमि है, का ही भाग है। हाल नये सेटलमेंट से पूर्व आबादी भूमि आराजी नंबर 932 थी, जिसके कि हाल नये सेटलमेंट पश्चात नये आराजी नंबर 2133 बने है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण के पिता श्री भगवतीलाल को आवंटित 7 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 2573/825 के दो तरफ संवत् 2011 के नक्शा में रास्ता अंकित था तथा इस रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि स्थित नहीं थी। पुराने राजस्व रेकार्ड के अनुसार इस रास्ते के उत्तरी दिशा में आबादी भूमि थी, इसिलिये ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा इस आबादी भूमि का पट्टा श्री नारायणलाल त्रिवेदी को कीमतन दिया गया था तथा श्री नारायणलाल त्रिवेदी से यह वादग्रस्त आबादी भूमि वादीगण के पिता ने कय की थी। इसिलिये इस वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 की भूमि को आबादी भूमि में मिलाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वर्तमान नक्शा ट्रेस (EX-9) से स्पष्ट है कि वादीगण के कब्जे की भूमि आराजी नंबर 2179 वर्तमान में हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते के उत्तरी दिशा में स्थित है। वादीगण के कब्जे की यह भूमि हाल नये सेटलमेंट के पूर्व आबादी भूमि खसरा नंबर 932 का भाग थी। इस आबादी भूमि साबिक खसरा नंबर 932 के हाल नये सेटलमेंट के पश्चात नवीन खसरा नंबर 2133 बनाये गये है, जैसा कि तुलनात्मक विवरण पत्र (EX-11) से स्पष्ट है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 वर्तमान में हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते के उत्तरी दिशा में स्थित होकर साबिक आबादी खसरा नंबर 932 (हाल खसरा नंबर 2133) का ही भाग है। साथ ही वादीगण के वाद का यद्यपि प्रतिवादीगण ने जवाबदावा तथा प्रतिदावा प्रस्तुत किया है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा न तो अपने जवाबदावे/प्रतिदावे को अपने शहादत व सबूत से साबित किया गया है, न ही उनके द्वारा बहस में भाग लिया गया है, अर्थात् अपने जवाबदावे/प्रतिदावे के प्रतिरक्षण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 को वर्तमान आबादी खसरा नंबर 2133 के साथ आबादी भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(5) तनकी संख्या 5 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर ही है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि साबिक खसरा नंबर 825 रकबा 9 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि रास्ता थी, जिस पर रास्ता हाल नये सेटलमेंट में भी कायम है तथा शेष 7 बिस्वा भूमि श्री भगवतीलाल को साबिक खसरा नंबर 2573/825 के रूप में हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते के दक्षिणी दिशा में आवंटन हुई थी। लेकिन हाल नये सेटलमेंट में बगैर किसी विधिक आदेश के यानि त्रुटिपूर्वक नये आराजी नंबर 2179, 2180 व 2181 कुल किता 3 रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि कायम कर उसमें से लगभग 4 एयर भूमि श्री भगवतीलाल के खाते में अधिक दर्ज कर दी गई, जिसमें से वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि को हाल नये सेटलमेंट के नक्शा में उक्त

वर्णित रास्ते के उत्तरी दिशा में दर्शा दिया गया है, जबकि श्री भगवतीलाल को उक्त रास्ते के उत्तरी दिशा में कोई भूमि आवंटित नहीं हुई थी। स्पष्ट है कि यह आराजी नंबर 2179 सेटलमेंट की गलती से श्री भगवतीलाल के खाते में त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दी गई थी, जो कि विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो गई है, जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है तथा यह सुधार कार्य राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है क्योंकि वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, जिससे संबंधित वाद को सुनने की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल नये सेटलमेंट के पश्चात के तथा पूर्व के दस्तावेजों - जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व तुलनात्मक विवरण आदि का अवलोकन किया। इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि श्री भगवतीलाल के खाते में उनको आवंटित 7 बिस्वा कृषि भूमि के मुकाबले में लगभग 4 एयर अधिक भूमि त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दी गई है जिसमें से आराजी नंबर 2179 को उक्त वर्णित रास्ते के उत्तरी दिशा में भूलवश अंकित कर दिया है। यह सब विवेचन उपर्युक्त वर्णित तनकी संख्या 1 में विस्तार से किया जा चुका है, जिसे कि दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सिविल न्यायाधीश (क.ख.) खेरवाडा ने भी अपने निर्णय दिनांक 29.05.09 (EX-12) में वादीगण का वाद वादग्रस्त भूमि के आबादी भूमि नहीं होने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की मानते हुये सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर ही खारिज किया था।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों व विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर कृषि भूमि न केवल जमाबंदी में श्री भगवतीलाल के खाते में गलत दर्ज कर दी गई है बल्कि इसका हाल नक्शा में भी उक्त वर्णित रास्ते के उत्तरी दिशा में कृषि भूमि के रूप में गलत अंकन कर दिया है, जिसे कि दुरुस्त किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये राजस्व न्यायालय ही सक्षम है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष में साबित पाये जाने से वादीगण के पक्ष में निर्णय की जाती है।

(6) तनकी संख्या 6 :- इस तनकी को साबित करने का सिद्धिभार भी वादीगण पर है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि वादीगण के पिता श्री बालकृष्ण पंचाल ने विक्रेता श्री नारायण लाल त्रिवेदी से मौजा धुलेव की आबादी भूमि पूर्व-पश्चिम 32 फीट तथा उत्तर-दक्षिण 12 फीट दिनांक 26.12.79 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपने हक में निष्पादित करवा कीमतन कय कर कब्जा प्राप्त किया था। तत्पश्चात श्री नारायणलाल त्रिवेदी के पास शेष बचे 32X12 वर्ग फीट आबादी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.85 को कय कर कब्जा प्राप्त किया था। सन 1988 में श्री बालकृष्ण का स्वर्गवास हो गया था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त कयशुदा भूमि पर वादीगण का वारिसान हक से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण इस भूमि पर दुकाने निर्मित कर नियमित व्यवसाय चला रहे हैं। वादीगण के अनुसार उनके पिता के द्वारा कय की गई उक्त भूमि पर दुकानों का निर्माण सन 1980 से 2000 के मध्य फर्दम-फर्दम किया गया था। लेकिन वादीगण के अधिपत्य की उक्त वर्णित कयशुदा आबादी भूमि सेटलमेंट की भूल से कृषि भूमि आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता श्री

भगवतीलाल के खाते में दर्ज कर दी गई तथा खाते में दर्ज होने की वजह से ही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण के साथ झगडा-फसाद करते है तथा मौके से वादीगण को बेदखल करने की धमकियां देते है। इसलिये वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। सेटलमेंट से पूर्व रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि स्थित नहीं थी लेकिन सेटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 को रास्ते के उत्तरी दिशा में शहर कोट के पास दर्ज कर दिया गया जबकि इस रास्ते के उत्तरी दिशा में श्री भगवतीलाल की कोई भूमि स्थित नहीं थी। मात्र सेटलमेंट विभाग ने अपनी मनमर्जी से प्रतिवादीगण के खाते में वादीगण के कब्जे की उक्त वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि दर्ज कर दी है जबकि इस भूमि पर वादीगण का दिनांक 28.12.79 से निरन्तर कब्जा चला आना प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से साबित होता है। यह तनकी संख्या 6 उपर्युक्त वर्णित तनकी संख्या 3 से मिलती-जुलती है, जो कि पूर्व में वादीगण के पक्ष में सिद्ध हो चुकी है। प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा तथा प्रतिदावा प्रस्तुत अवश्य किया है लेकिन अपने जवाबदावा व प्रतिदावा के समर्थन में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है तथा न ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है एवं न ही किसी प्रकार की कोई चाराजोही ही है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावे व प्रतिदावा के प्रतिरक्षण की कार्यवाही नहीं करने से भी यही प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खाते में वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दी है तथा खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण के कब्जे में दखलदांजी करते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन व तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये यह तनकी संख्या 6 का निस्तारण भी बहक वादीगण किया जाता है।

(7) तनकी संख्या 7 :- इस तनकी को साबित करने का सिद्धिभार भी वादीगण पर ही है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 में से 60 वर्गफीट का त्रिभुजाकार भूखण्ड दौराने वाद कार्यवाही दिनांक 20.01.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। लेकिन यह विक्रय पत्र कब्जे के अभाव में शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 20.01.2011 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की इबारत अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के द्वारा ग्राम धुलेव की वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 में से 60 वर्गफीट भूमि को आवासीय भूखण्ड बताते हुये प्रतिवादी संख्या 6 को कीमतन विक्रय की थी। वादीगण इस विक्रय पत्र दिनांक 20.01.11 को शून्य घोषित कराना चाहते है। लेकिन किसी भी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय का होता है। ऐसे में क्षेत्राधिकार के बाहर होने से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 20.01.11 को इस न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। फलतः क्षेत्राधिकार से बाहर होने से यह तनकी संख्या 7 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

(8) तनकी संख्या 8 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पर है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा व प्रतिदावा प्रस्तुत करने के बाद अपने मामले के प्रतिरक्षण हेतु कोई रुचि नहीं ली है तथा न ही सही ढंग से चाराजोही की है। प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 27.07.15 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा व प्रतिदावा को साबित करने हेतु कोई शहादत व सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा न ही उनके द्वारा बहस में भाग लिया गया है। साराशतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। वैसे भी तनकी संख्या 1 से 6 तक वादीगण के हक में निर्णीत की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में इस तनकी का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वादीगण के पक्ष में निर्णीत उपर्युक्त तनकियों से साबित हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. श्री भगवतीलाल के खाते में सेटलमेंट की त्रुटि से दर्ज हुई थी। इसलिये वादीगण यह प्रस्तुत दावा लाने के अधिकारी है।
अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी संख्या 8 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

(9) तनकी संख्या 9 :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा व प्रतिदावा की तार्ईद में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह सिद्ध होता कि यह वाद न्याय बाहर है। वादीगण द्वारा यह वाद सिविल न्यायाधीश (क.ख.) खेरवाडा के निर्णय के पश्चात प्रस्तुत किया है। अतः तनकी संख्या 9 का निस्तारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

(10) तनकी संख्या 10 :- यह तनकी अनुतोष बाबत है। तनकी संख्या 1 से 6 तक पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है, जबकि तनकी संख्या 7 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत हुई है। प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकी संख्या 8 व 9 थी, जिसे कि सिद्ध करने में प्रतिवादीगण विफल रहे हैं।

अतः उपर्युक्तानुसार तनकीवार विनिश्चय के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपर्युक्तानुसार तनकीवार विनिश्चय के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिकी किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि मौजा धुलेव की वादग्रस्त वर्तमान आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खाते में से कम की जाकर आबादी भूमि घोषित की जाती है तथा इस वादग्रस्त आराजी नंबर 2179 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि को मौजा धुलेव के वर्तमान आबादी आराजी नंबर 2133 के साथ राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध इस आराय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 2179 में वादीगण के स्वामित्व व

आधिपत्य की भूमि व उस पर निर्मित दुकानों में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही करे तथा न ही वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करे।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

WJ 08/02/18

(शैलेश सुराणा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव